Committee

Q. नेहरू कमिटी रिपोर्ट के प्रावधानों को बताए ? नेहरू कमिटी की रिपोर्ट क्या थी ? इसका विरोध मो० जिन्ना ने क्यों किया ?

Ans:— 24 नवम्बर 1927 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रिटिश कैबिनेट में अनुदार दल के भारत मन्त्री लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती देते हुए कहा कि वे ऐसे संविधान का निर्माण कर ब्रिटेन की संसद के समक्ष पेश करें जिसे भारत के सभी वर्ग स्वीकार करते हो. भारत मन्त्री की धारणा थी कि भारत में जाति- धर्म - भाषा आदि की विभिन्नता और मतभेद के कारण भारतवासी कभी भी एक सर्वसम्मत संविधान नहीं बना पायेंगे. राष्ट्रीय कॉंग्रेस ने भारत मन्त्री की चुनौती को स्वीकार कर लिया.

सर्वदलीय सम्मेलन और नेहरू समिति का गठन :— कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन की चुनौती को स्वीकार करते हुए 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया. इसमें 29 संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. सभी पक्ष इस बात पर सहमत थे कि 'पूर्ण उत्तरदायी शासन' को आधार बनाकर नया संविधान बनाया जाए. दो महीने में सम्मेलन की कुल 25 बैठकें हुई और अनेक प्रश्नों पर प्रतिनिधि सहमत थे. इसके बाद 19 मई 1928 को ये प्रतिनिधि बम्बई में एकत्र हुए. इस बार संविधान का ड्राफ्ट बनाने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई. इस समिति में दो मुसलमान तथा एक सिख सदस्य भी थे. इस समिति ने 10 बैठकों में संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया. समस्त दलों का सम्मेलन फिर लखनऊ में डॉ० अन्सारी की अध्यक्षता में हुआ. इसमें संविधान के ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया गया. यह नये संविधान का ड्राफ्ट ही 'नेहरू रिपोर्ट' के नाम से प्रसिद्ध है. रिपोर्ट में 'डोमिनियन स्टेट्स' को पहला लक्ष्य एवं 'पूर्ण स्वराज्य' को दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया।

डोमिनियन

नेहरू समिति

अध्यक्ष → मोतीलाल नेहरू
सदस्य → सर अली इमाम, एम० एस० आणे, तेजबहादुर सप्रू, मंगल सिंह, जी० आर० प्रधान, सुऐब कुरेशी और सुभाष चन्द्र बोस।

नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें धारायें :—

नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रकाशित हुई, इसकी प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थी :—

1 ⟹ औपनिवेशिक स्वराज्य :— भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर वैसा ही औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए, जो ब्रिटेन के दूसरे उपनिवेशों को प्राप्त है।

2 ⟹ केन्द्र व प्रान्तों में उत्तरदायी शासन :— प्रान्तों में द्वैध शासन का अन्त करके उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। कार्यपालिका की शक्ति सम्राट में रहेगी, किंतु उसका प्रयोग गवर्नर-जनरल उसके प्रतिनिधि के रूप में करेगा। गवर्नर-जनरल राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में अपने लोकप्रिय मंत्रियों के परामर्श से कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद् अपने कार्यों के लिए केन्द्रीय विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी रहेगी। केन्द्रीय कार्यकारिणी की सदस्य संख्या सात होगी जिसमें एक प्रधानमंत्री और 6 मंत्री होंगे।

3 ⟹ संघीय व्यवस्था :— भारत के लिए संघात्मक शासन ही उपर्युक्त बताया गया, देशी राज्यों की समस्या का इसमें कोई उल्लेख नहीं था। परन्तु भविष्य में देशी राज्यों को भारत के साथ मिलाकर एक संघ की स्थापना की सिफारिश की गयी थी। रिपोर्ट में भारत संघ की स्थापना को एक सुदूर संभावना समझा गया था। संघ सरकार को राज्यों के प्रति वे ही अधिकार और कर्तव्य होंगे जो अबतक प्रांतों में ब्रिटिश भारत की सरकार के थे। यद्यपि ब्रिटिश भारत की सरकार एकात्मक होगी तथापि और प्रांतीय स्वायत्त शासन की आवश्यकता को स्वीकार किया गया।

इसलिए केन्द्र और प्रांतों में एक संघ की भाँति शक्ति-विभाजन की स्थापना की गयी थी लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि केन्द्र को अधिक शक्तियाँ दी जाएँ।

4 मूल अधिकार :— नेहरू रिपोर्ट में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की एक लम्बी सूची दी गयी थी और जनता की संप्रभुता को स्वीकार किया गया था। स्त्रियों, श्रम, पूँजी तथा दलित वर्गों की रक्षा का आश्वासन दिया गया और अल्पमत वालों के लिए उनके धर्म, भाषा और संस्कृति की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गयी थी।

5 पृथक निर्वाचन प्रणाली का उन्मूलन :— रिपोर्ट में साम्प्रदायिक निर्वाचन के बदले संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था की गयी थी। अल्पमत वालों के लिए जनसंख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित रखने तथा शेष स्थानों के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया था। पंजाब और बंगाल में किसी जाति के लिए स्थान सुरक्षित नहीं रखा गया था। जिन प्रांतों में मुसलमान अल्पसंख्या में थे वहाँ उनके लिए स्थान सुरक्षित रखने की घोषणा थी।

6 सर्वोच्च न्यायालय :— नेहरू रिपोर्ट में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पर बल दिया गया। कहा गया कि भारत के लिए यही अन्तिम न्यायालय होना चाहिए, ब्रिटेन की प्रिवी परिषद में अपील भेजने की व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की गई।

7 नये प्रान्तों का निर्माण :— रिपोर्ट में सिन्ध को बम्बई प्रान्त से पृथक करने की सिफारिश की गई। (यह बात मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए थी।)

8 केन्द्रीय विधान मण्डल :—

कहा गया कि केन्द्रीय विधान मण्डल द्विसदनात्मक होना चाहिए, निचले सदन का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए और उच्च सदन का निर्वाचन परोक्ष रूप से होना चाहिए, निम्न सदन में 500 व उच्च सदन में २०० सदस्य होने चाहिए.

9 देशी रियासतें :—

रिपोर्ट में कहा गया कि नये संविधान में केन्द्रीय सरकार को रियासतों के ऊपर वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो अभी ताज के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्राप्त थे. देशी नरेशों के अधिकारों की सुरक्षा का वचन दिया गया.

नेहरू रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया :—

1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में तो नेहरू रिपोर्ट को सबने स्वीकार कर लिया, परन्तु बाद में विभिन्न दलों ने अलग-2 नेहरू रिपोर्ट पर विचार किया और रिपोर्ट के बारे में मतभेद पैदा हो गये. कांग्रेस ने 1928 के अपने वार्षिक अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार तो कर लिया, परन्तु काफी मतभेद के बाद, कारण यह था कि पं. जवाहर लाल नेहरू व श्री सुभाष चन्द्र बोस पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में थे, औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में नहीं।

कुछ सिख इस रिपोर्ट से इसलिये सन्तुष्ट नहीं थे कि साम्प्रदायिक धाराओं में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं था।

जिन्ना के द्वारा विरोध :—

नेहरू रिपोर्ट के बारे में मुस्लिम लीग में मतभेद रहा, डॉ. अन्सारी जैसे राष्ट्रवादी मुसलमानों ने रिपोर्ट को स्वीकार किया, परन्तु मौलाना मुहम्मद अली तथा एम. ए. जिन्ना जैसे मुसलमानों ने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया. सप्रू ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका में मुसलमानों के 33 1/2% स्थान के आरक्षण पर बल दिया।

उसने सम्मेलन से अनुरोध किया कि साम्प्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए जिन्ना के प्रस्ताव को मान लिया जाए अन्यथा भारत औपनिवेशिक स्थिति प्राप्त नहीं कर सकेगा। हिन्दू महासभा के प्रतिनिधि जयाकर ने जिन्ना के प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया और सम्मेलन को चेतावनी दी कि यदि यह नेहरू रिपोर्ट को मूल रूप में नहीं मानता है तो हिन्दू महासभा अपने को अलग कर लेगी। जिन्ना के संशोधन पर जब मतदान हुआ तो उसे कोई समर्थन नहीं मिला।

31 दिसम्बर 1928 के सर्व मुस्लिम लीग ने जिन्ना के 14 सिद्धान्त या सूत्र नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में रखे, कांग्रेस ने इन्हें स्वीकार नहीं किया, अतः कांग्रेस व लीग में समझौता नहीं हो सका। जिन्ना ने अपने 14 सूत्रों में मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व, सीटों का संरक्षण, मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक सीटों की मांग आदि रखे थे। क्योंकि यह रिपोर्ट बहुत ही प्रगतिवादी थी और उच्च श्रेणी की थी, इसलिये ब्रिटिश सरकार ने इसे ठुकरा दिया।

जिन्ना का यह दूसरा प्रयास भी असफल रहा। मुस्लिम लीग की सभा, जिसमें इस पर विचार रखा था, शोरगुल में भंग हो गई और कोई काम नहीं किया गया।

नेहरू रिपोर्ट का महत्व :—

यह भारत के भावी संविधान का एक ब्लू प्रिन्ट था। यह एक उच्चकोटि का रिपोर्ट था। जी० आर० प्रधान के अनुसार "1928 की नेहरू रिपोर्ट, साम्प्रदायिकता की भावना को मिटाने का शुद्ध तथा स्पष्ट प्रयत्न था।" सर शफात अहमद खाँ के अनुसार नेहरू रिपोर्ट अत्यन्त महत्वपूर्ण रचनात्मक प्रयास था। अबतक जो भी इस प्रकार के प्रयास अन्य संगठनों द्वारा किये गये उनमें इसका विशेष महत्व है। इसने देश के सम्मुख एक महान आदर्श उपस्थित किया था। जिसके स्थान की पूर्ति नहीं हो सकती।

ब्रिटिश सरकार की नजर में नेहरू रिपोर्ट अत्यधिक क्रांतिकारी थी। कांग्रेस द्वारा यह मांग की गयी कि नेहरू रिपोर्ट को यदि ब्रिटिश संसद ज्यों की त्यों स्वीकार

कर न तो कांग्रेस उसे मानने में आपत्ति प्रकट नहीं करेगी। परंतु यदि रिपोर्ट को अस्वीकार या उसमें संशोधन लाना चाहेगी तो कांग्रेस उसके विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारम्भ कर देगी। इंग्लैण्ड में 1929 में आम चुनाव हुआ। मजदूर दल का मंत्रिमंडल बनने से भारतीयों के बीच नई आशा का संचार हुआ किन्तु अनुदार दल के विरोध के कारण स्थिति ज्यों-की-त्यों रह गयी। नेहरु रिपोर्ट भारतीयों की बुद्धिमत्ता और राजनीतिज्ञता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था।

निष्कर्ष :

इस प्रकार, नेहरु रिपोर्ट के सम्बन्ध में राजनीतिक दलों की विभिन्न प्रतिक्रियाएँ हुई। पंडित मोतीलाल नेहरु के नेतृत्व में कांग्रेस का पुराना दल इसे पूर्णतः स्वीकार करना चाहता था। पर मुस्लिम लीग में इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में मतभेद हुआ। राष्ट्रवादी मुसलमान इसे पूर्णतः स्वीकार करने के पक्ष में थे। जिन्ना के नेतृत्व का गुट इसमें संशोधन करवाना चाहता था। जिन्ना ने नेहरु रिपोर्ट के विकल्प में चौदह सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। देशी नरेशों ने भी नेहरु रिपोर्ट का विरोध किया क्योंकि यह उनकी सार्वभौम सत्ता को नष्ट कर देता था।

ब्रिटिश सरकार ने रिपोर्ट को अधिक प्रगतिशील बतलाकर ठुकरा दिया। इसके बावजूद भी यह कहा जा सकता है कि नेहरु रिपोर्ट भारतीय संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से एक मूल्यवान दस्तावेज थी। डॉ. जकारिया ने इसे एक परिपक्व तथा राजमर्मज्ञपूर्ण रिपोर्ट कहा है। सर शफात अहमद खाँ ने कहा था कि नेहरु रिपोर्ट अत्यन्त रचनात्मक प्रयास था।